स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में नैतिक मुद्दे: समस्या और समाधान

श्याम सुन्दर प्रसाद

lkjk'k *इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि "नैतिकता सभी समस्याओं की जड़ और समाधान का मुख्य कारक हैं"। किसी भी क्षेत्र में नैतिकता की मौजूदगी समस्या के समाधान की ओर तथा नैतिकता का पतन या गिरावट समस्याओं की ओर ले जाता हैं। यह कथन स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी अक्षरशः लागू होता हैं। भारत के वर्तमान स्थिति में, जहाँ स्वास्थ्य जैसी बुनियादी विषय को लाभकारी पेशे के रूप में लिया जाता हो और इससे जुड़े अधिकांश व्यक्ति चाहे अधिकारी-कर्मचारी या सभ्य समाज-बुद्धिजीवी या सरकार-जनता हो, सभी अपने स्तर पर अपनी जिम्मेवारियों और कर्तव्यों को सुरक्षित करने में माहिर हो चुके हों। वहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाख प्रयास करने के बावजूद स्थिति में सुधार होना नाकाफी ही साबित होगा। इसलिए व्यक्ति में 'आंतरिक नैतिकता' को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक कदम उठाने पड़ेंगे, जो स्वयं व्यक्ति के अंतःकरण को जागृत कर स्वार्थरहित और सर्वोमुखी कर सके।*

प्रस्तावना

स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य देखभाल होना आवश्यक है जो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार करने के कार्य से जुड़ी है। स्वास्थ्य संबंधित सभी पहलुओं में एक महत्वपूर्ण चिकित्सकीय नैतिकता भी है। चिकित्सकीय नैतिकता का अभिप्राय चिकित्सा के क्षेत्र या संबंधित कार्यों में व्यक्ति या समूह समाज या संस्था का विशेष नैतिक सिद्धांत या आचरण के नियम या मानक से है जो सार्वभौमिक, व्यावहारिक, वस्तुनिष्ठ, तार्किक, न्यायपूर्ण, प्रासंगिक और व्यावहारिक हों। नैतिकता के गुणों की उपस्थिति या कमी जैसे– व्यक्ति के चरित्र, कर्तव्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, सहानुभूति, साहस, धैर्य, ईमानदारी, स्वास्थ्य व्यवहार, अच्छे व्यवहार या आदतों सहित विभिन्न विशेषताएँ नैतिकता को व्यक्त कर सकती हैं। भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न स्तर पर नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और 'स्वस्थ और खुशहाल'

समाज के निर्माण हेतु अनवरत प्रयास जैसे– स्वास्थ्य बजट में वृद्धि, मिशन मोड में स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत, स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा, हेल्थ कार्ड मुहैया करना, मेडिकल कॉलेज निर्माण तथा भर्तियों की संख्या बढ़ाना, जन संचार के माध्यम जैसे– प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया द्वारा सेहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजन और कुपोषण से आजादी के लिए फ्री खाद्यान्न उपलब्ध कराना आदि समय-समय पर किए जाते रहे हैं। भारत में कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य का कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कम खर्च, वैधानिक ढांचे का अभाव, सहकारी संघवाद के ढांचे के भीतर स्वास्थ्य सुविधाओं को अमल में नहीं लाना आदि हैं। इन सबके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण कारण व्यक्ति के नैतिक जिम्मेवारियों और कर्तव्यों का दिन प्रति-दिन क्षरण होना है। व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार, मिलावट और महंगाई आदि के कार्यों को बिना रोक-टोक के बड़ी संख्या और मात्रा में अंजाम देना, नैतिकता के गिरावट का उदाहरण है ।

अनैतिक कार्य और स्वास्थ्य देखभाल पर प्रभाव

यह कहना निःसंदेह उचित होगा कि यह नैतिक गिरावट प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वास्थ्य की समस्याओं को प्रभावित करता है। क्योंकि स्वास्थ्य अपने आप में एक अंतर्विषयक, अन्तर्गुफित और अंतर्संबंधित विषय है। इसलिए यह दूसरे विषयों को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित भी होता है। इसको संसार में आए कोविड-19 विपदा के संदर्भ में बहुत हद तक समझ और देख सकते है। कैसे लोग अपने चारित्रिक और नैतिक जिम्मेवारियों व कर्तव्यों से विमुख होकर आपदा को गलत ढंग से अवसर में बदला है और बदलने में लगे हुए हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण अनैतिक कार्य और उनके स्वास्थ्य पर पड़ते प्रभाव को देखा जा सकता है।

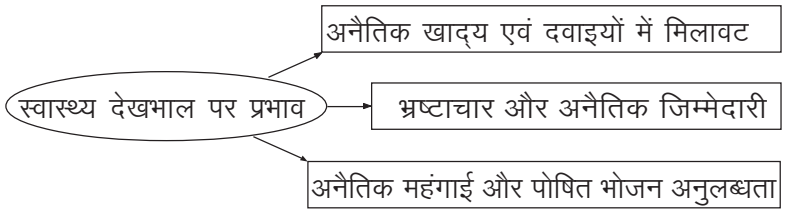

vu\frd [kk| ,o nokb;k e feykoV% कुछ लोगों में अनैतिकता की प्रकाष्ठा इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें स्वयं के फायदे के आलावा कोई और किसी प्रकार का या रूप में फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सभी खाद्य पदार्थ सब-स्टैंडर्ड पाया जाता है। अन्य विकल्प नहीं होने के कारण आम जनता इसे अपने खानपान में लेने के लिए मजबूर है। जिससे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित रोगों का शरीर में स्थान मिलना शुरू हो जाता है। अगर बात करते है बाजार में उपलब्ध दवाइयों की गुणवत्ता का जो विभिन्न दवा कम्पनियों द्वारा रोगों के निवारण के लिए बनाए गए है तो अधिकांश दवाइयों के

इस्तेमाल करने के बाद प्राप्त परिणाम कम गुणवत्ता और प्रभावशीलता वाले होते है जो उनमें मिलावट के प्रतिशत को बताते है। दूसरी तरफ, इन दवाइयों के मूल्य निर्धारण का आकलन किया जाए तो एक ही दवा का मूल्य और छूट (कभी-कभी 50 प्रतिशत का अंतर) अलग-अलग मेडिकल स्टोर पर आपको अलग-अलग मिल जाते है। यह चली आ रही बुरी व्यवस्था लोगों को मनोवैज्ञानिक रोगी बनाकर स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। जो निरोगी को रोगी और रोगी को और रोगी करता जाता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ दवा में मिलावट को भी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 272 से 276 में एक गैर जमानती अपराध माना गया है। फिर भी मिलावट करने वाले मामले में मिलावटखोरों पर सरकार, चिकित्सा विभाग तथा अन्य के कदम न के बराबर है। कभी-कभार त्यौहारी सीजन में चिकित्सा विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा मिलावट की रोकथाम के लिए अभियान चलाए जाते हैं ।

vufrd egxkbZ vkj ikf"kr Hkkstu vuiyC/krk खाद्य पदार्थों के प्रतिदिन मूल्य वृद्धि और मेडिकल खर्चों में बेतहाशा वृद्धि ने आम आदमी को संतुलित भोजन और मेडिकल सुविधा से दूर कर दिया है। लेकिन दुःख की बात यह है कि यह मूल्य वृद्धि वस्तुओं के आवक और गुणवत्ता पर निर्भर नहीं है बल्कि फर्जीवाड़ा, लूट-खसोट और कालाबाजारी आदि पर है। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ, समाज का एक वर्ग या तबका बेलगाम अमीर होता दिख रहा है। और दूसरी तरफ, भारत की अधिकांश आबादी आज भी कुपोषण का शिकार है। अधिकांश लोगों की मृत्यु का कारण अन्न और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता है। हाल के वर्षों में, भारत के अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता और स्थिर आर्थिक विकास की स्थिति के बावजूद, देश में गरीबी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का कोई उन्मूलन नहीं हो पाया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लगातार समस्याएं देखी गई हैं जैसे– राशन कार्डधारी गरीबों को कम आपूर्ति, खुले बाजार में वस्तुओं को बेचना, उचित मूल्य की दुकानों द्वारा अनुमत मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं करना, अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों को सस्ते में बदलना, अनियमितता और देरी आदि। साथ ही इस व्यवस्था में अन्न के स्टोरेज में खर्च, स्टोर किए खाद्यान्न की बर्बादी, परिवहन व्यय तथा अनुचित प्रबंधन ने सभी के लिए खाद्य सुरक्षा नीति को असफल कर रहा है ।

Hk"Vkpkj vkj vufrd ftEesokjh स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार (किसी भी रूप में अनैतिक निजी लाभ) इतना घातक है कि यह जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कर सकता है। इसमें क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, गुणवत्ता, समानता, दक्षता और प्रभावकारिता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है बल्कि इसके परिणामस्वरूप 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' प्राप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए एक बाधा बन सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च होने वाले बजट का अधिकांश हिस्सा किसी रूप में बिना लक्ष्य पूर्ति के खर्च हो जाते है। अपर्याप्त

नियामक निरीक्षण, और शासन में पारदर्शिता की कमी भ्रष्टाचार को जन्म देता है और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता को कम देता है। भ्रष्टाचार सबसे आवश्यक संसाधनों को डायवर्ट करता है। यह स्वास्थ्य प्रणालियों को कमजोर करता है, असमानताओं को बढ़ाता है और लोगों की जान लेता है। बिना लगाम के बेरोकटोक ढ़ंग से मनमानीपूर्ण डॉक्टरो की परामर्श फीस, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों और जाँच सुविधाओं की कीमत आदि उतरोत्तर बढ़ रहे है। बेतहाशा कीमतें इसलिए नहीं बढ़ रहे है कि आवश्यक है बल्कि अनैतिकतापूर्ण भ्रष्ट आचरण और नियमों और मानवता को ताख पर रख कर असंवेदनशीलता से अपना जेब भरने के लिए हो रहे है ।

उच्च नैतिकता निर्माणः स्वास्थ्य समाधान की ओर एक पहल

सभी स्वास्थ्य सुधारात्मक पहलों क्रियान्वयन के शत-प्रतिशत परिणाम सुनिश्चित करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों में नैतिक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति नैतिकता का विकास करना है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर बदलाव करने की जरूरत है।

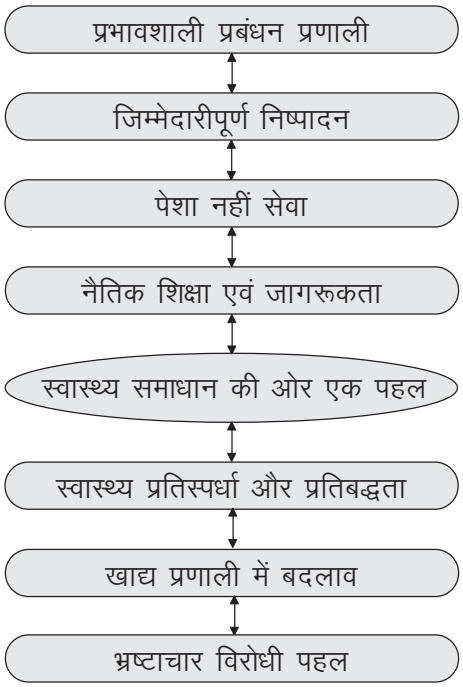

ufrd f'k{kk ,o tkx:drk मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के एडमिशन से लेकर कोर्स पूर्ण करने तक "सेवार्थ आइए, परमार्थ जाइए" पर हमेशा अमल हो। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, इसलिए इन विषयों को यूनिवर्सिटी एजुकेशन का कोर्स बनाने पर जोर देने की जरूरत है। मेडिकल

स्टाफ की भर्ती से लेकर ड्यूटी तक नैतिक मूल्यों के विकास और नैतिक शिक्षा पर बल देने वाले प्रावधानों को शामिल किया जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन को चिकित्सा लाइन में ही एक अलग विशेषीकृत व्यवस्था या स्वास्थ्य सेवाओं (जैसे– चिकित्सा, एम्बुलेंस, उपकरण, रक्त, भोजन, अपशिष्ट, जागरूकता और परामर्श) को लागू करने और योगदान करने की दिशा में काम करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा संस्थान या ट्रस्ट एक नैतिकता के साधन हो सकते हैं इसलिए अमीर और परोपकारी व्यक्तियों या समाज द्वारा ''ट्रस्ट आधारित अस्पतालों एवं डिस्पेन्सरियों'' को जिला, क्षेत्र या पंचायतवार खोलने का प्रयास हो ताकि गरीब मरीजों को उनकी सुविधाएं कम कीमत पर मिल सकें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल लाभोन्मुख न हो और इन अस्पतालों में सेवा देने वाले डॉक्टर अपने मरीजों को निजी क्लीनिक तक पहुंचने का साधन न बनाएं।

is'kk ugha lsok% यह बात सभी को समझनी होगी कि पेशा कोई भी हो हमें सिर्फ निःस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करनी चाहिए। चूंकि डॉक्टर इंसानियत के पुजारी और भगवान के दूसरे रूप होते हैं, इसलिए निजी डॉक्टरों को अपने मरीजों को देखने के लिए सर्वसम्मति से यथोचित फीस तय करनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर मनमानी फीस वसूल रहा है तो डॉक्टर एसोसिएशन के निर्देश पर प्रत्येक डॉक्टर को 15 दिन में कम से कम एक बार 50 से 100 मरीजों को निःशुल्क देखने का दायित्व निभाना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि विपत्ति के समय चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की कालाबाजारी से उनके मूल्य वृद्धि होती है तथा अधिकांश डॉक्टर अपने कमीशन हेतु बेमतलब के महँगी दवाइयाँ और जाँच की सलाह देते है। इसलिए डॉक्टर को रोगियों को कम मूल्य की प्रभावशाली दवाइयों को लेने एवं जाँचों को करवाने की सलाह देना अपना कर्तव्य समझना चाहिए।

ftEesnkjhi.k fu"iknu% स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुख्य इकाई अस्पताल/डिस्पेंसरी/केंद्र का प्रबंधन और उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों के निष्पादन जिम्मेदारी को सुढ़ृण करना होगा। इसके लिए अस्पताल के मेन गेट, ओपीडी और आईसीयू में सीसीटीवी लगाकर सीएमओ के रूम और कंट्रोल रूम में प्रसारण किया जा सकता है ताकि कर्मचारी के लापरवाही का पता लग सकें और वे अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभा सके। अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों के पास ड्रेस कोड के साथ पदनाम के साथ उनकी नेम प्लेट होनी चाहिए और सीएमओ के कार्यालय में एक शिकायत पुस्तिका या रजिस्टर होना चाहिए। किसी भी तरह और रूप में भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग या कर्मचारी की सारी चल-अचल सम्पत्ति जब्त किया जाए। उन प्राप्त धन का गरीबों के कल्यार्थ पर लागने के लिए एक कोष को निर्माण हो। किसी भी कार्य के बेहतर सम्पन्नता का आश्वासन या जिम्मेदारी उच्च अधिकारी ले। इनके द्वारा कार्य के भलीभांति देख-रेख के लिए 'शपथ-पत्र फॉर्म' भरवाया जाए। कम से कम दो अनियमितता सिद्ध हो जाने पर उनके खिलाफ करवाई हो। बड़े

अस्पतालों के स्तर पर एक 'स्वतंत्र नियंत्रण एवं संचालन प्रकोष्ठ' हो जिसमें सीएमओ, डीएम, मुख्य न्यायाधीश, सांसद, विधायक, प्राचार्य और अन्य सम्मानित व्यक्ति के प्रतिनिधि शामिल हों जो अस्पताल का 24x7 सतत निगरानी काम कर सकें। अस्पतालीय अनियमितता पर मरीज शिकायत दर्ज कराए और सेल तुरंत उनकी मदद करें ।

çHkko'kkyh çcU/ku ç.kkyh% स्वास्थ्य क्षेत्र में सफलता और प्रभावशीलता के साथ स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए एक प्रभावशाली प्रबंधन प्रणाली तैयार करने की जरुरत है जो 'स्वास्थ्य सेवा तंत्र' व 'स्वास्थ्य सूचना तंत्र' को मजबूत करें। सरकारी और निजी अस्पतालों में चिकित्सा सहायता और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिला स्तर पर एक 'चिकित्सा सहायता या उपकरण आपूर्ति प्रकोष्ठ' बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक अस्पताल चिकित्सा सहायता सामग्री का 3 दिनों के लिए पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, आपूर्ति प्रकोष्ठ को प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप में इसकी आपूर्ति की सूचना दे। मांग के अनुसार चिकित्सा सहायता सामग्री उपलब्ध कराना प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी हो। राज्य सरकार को चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए उत्पादन और आपूर्ति को तुरंत अपने नियंत्रण में लेकर ड्रग कंट्रोल टीम को सक्रियता से काम करने के निर्देश देना चाहिए। सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सम्मलित एवं सहभागितापूर्ण ढ़ंग से स्वास्थ्य देखभाल का कार्य तथा स्वास्थ्य संबंधित अन्य गतिविधियों का संचालन करने के लिए एकीकृत योजना पर कार्य हो। जिला स्तर पर सभी अस्पतालों (सरकारी और निजी), डॉक्टरों (एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, यूनानी और अन्य) का क्लस्टर और उनसे जुड़े सभी कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यक जानकारी के साथ एक डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए। यह डेटाबेस संबंधित स्वास्थ्य विभाग के पास होना चाहिए ताकि इसका जल्द से जल्द और आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जा सके और उन सभी को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा सकें।

LoLFk çfrLi/kkZ vkSj çfrc)rk% पिछले दो दशकों में मेडिकल प्रदाताओं एवं दवाओं की बढ़ती संख्या तथा मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकरण एवं बढ़ोतरी के बावजूद आम लोग स्वास्थ्य सुविधा को लेकर अधिक तनाव और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं के जन्मने का मुख्य कारण विभिन्न क्षेत्रों में अनैतिक प्रतिस्पर्धा है। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कम्पनियों/संस्थायों/व्यक्तियों को अपने बीच प्रतिस्पर्धा जरुरतमंदों को अच्छी, बेहतरीन स्वास्थ्य देखभाल और सस्ती सेवा देने की प्रतिबद्धता में हो। अतः स्वास्थ्य असमानताओं का विकास एवं इसके मापन और समाधान के प्रासंगिक विषयों के लिए विधियों और नीतियों के साथ नैतिकता निर्माण पर विचार करने की आवश्यकता है ।

[kk| ç.kkyh eSa cnyko% मौजूदा खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करके नीतिगत पहल की तत्काल आवश्यकता है। गरीबों को

खाद्यन्न उपलब्ध करवाने के बदले उन्हें प्रत्यक्ष नगद स्थानान्तरण स्कीम से जोड़ा जाए। ऐसा करने से खाद्यान्न प्रबंधन खर्चो और पीडीएस की समस्याओं से निजात मिलेगा। साथ ही गरीब लोग नगद पैसों से मनचाही और आवश्यकतानुसार खाद्यान्न किसानों या बाजार से खरीद सकेंगे। इससे बाजार में तरलता बनी रहेंगी और छोटे किसानों को भी फायदा होंगा ।

Hk"Vkpkj fojks/kh igy% सेवा वितरण एवं नियामक और संस्थागत भ्रष्टाचार दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए त्वरित और क्रियात्मक आधारित कार्य के साथ सामाजिक जवाबदेही तथा भ्रष्टाचार विरोधी, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रयास करना महत्वपूर्ण हैं। सरकार द्वारा अनैतिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए जगह जगह पर होल्डिंग लगाकर एक नंबर जारी किए जाए जिस पर आम नागरिक मिलावट खोरों/भ्रष्ट व गैर-जिम्मेदार कर्मचारियों/दलालों/कालाबाजारियों/टैक्सचोरों/कमीशनखोरों आदि की शिकायत कर सके। शिकायत की पुख्ता जाँच के बाद सही पाए जाने पर शिकायतकर्ता को अवार्ड/प्रशस्तिपत्र/नगद राशि/नौकरी आदि का प्रावधान हो । इस तरह के उठाए गए कदम से राष्ट्र के विकास के साथ सक्रिय नागरिक निर्माण और बेरोजगारों के लिए एक वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते है। सरकारी डॉक्टरों के साथ-साथ निजी डॉक्टरों को सालाना 'वेल्थ असेसमेंट फॉर्म' भरना अनिवार्य हो ताकि उनकी संपत्ति के ब्योरे के साथ आयकर भी सुनिश्चित किया जा सके। उनके द्वारा भरे गए फॉर्म का औचक जाँच भी हो।

अंततः जनता के 'अच्छा स्वास्थ्य अधिकार' को मौलिक बनाने और इसे कानूनी और पारदर्शिता के साथ मानवाधिकार सिद्धांतों के ढांचे के भीतर लागू करने की आवश्यकता है। तभी भारत जैसे देश स्वास्थ्य संकट के कम और उच्च जोखिम की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो सकता है। सहकारी संघवाद के ढांचे के भीतर स्वास्थ्य के अधिकार को लागू करने से उन क्षमताओं का निर्माण होगा, जहां जमीनी स्तर पर उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी स्वास्थ्य नीति पूर्णरूपेण सफल हो पाएगी।